

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-4/आ0वि0-02-1009/2016 197 राँची, दिनांक- 8/11/19

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 4333 दिनांक 31.05.2019 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखण्ड के खुरा ग्राम पंचायत अंतर्गत निर्मित शौचालयों की जाँच में श्री संजय कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्र0-766/03) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार के साथ जाँच दल में शामिल श्री बलराम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल, चंदवा, सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं श्री महेश्वर राम, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा बरवाडीह, प्रमंडल-लातेहार द्वारा भ्रामक एवं सत्य से परे जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा विभाग से की गई है।

2. कार्मिक विभाग द्वारा उक्त की गई अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा श्री बलराम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त), पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल, चंदवा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2655 दिनांक 25.07.2019 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पृच्छा की गई। जिसके अनुपालन में श्री राम द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। जिसके समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया एवं उनके द्वारा भ्रामक एवं सत्य से परे जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत श्री बलराम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त), पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल, चंदवा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री सदानन्द मंडल, अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, जमशेदपुर को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री शिशिर कुमार सोरेन, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जमशेदपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माह पन्द्रह दिनों) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव-बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है श्री बलराम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) एवं अन्य संबंधित को प्रपत्र-क (साक्ष्य सहित) उपलब्ध करायी जाय।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

08/11/19

ज्ञापांक- 3952

राँची, दिनांक- 8/11/19

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को उनके पत्रांक-4333 दिनांक 31.05.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ समर्पित।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 3952

राँची, दिनांक- 8/11/19

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी मुख्य अभियन्ता/ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता /सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित) /अवर सचिव (प्रशाखा-03 एवं 04), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 3952

राँची, दिनांक- 8/11/19

प्रतिलिपि- श्री सदानन्द मंडल, अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, जमशेदपुर-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी तथा श्री शिशिर कुमार सोरेन, कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जमशेदपुर-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को प्रपत्र-क (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोपरि।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 3952

राँची, दिनांक- 8/11/19

प्रतिलिपि- श्री बलराम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता (सम्प्रति सेवानिवृत्त), पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल, लातेहार को प्रपत्र क (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोपरि।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 3952

राँची, दिनांक- 8/11/19

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार को सनुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की प्रति श्री पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रभारी सहायक अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुए उसकी पावती से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अनु0-यथोपरि।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 3952

राँची, दिनांक- 8/11/19

प्रतिलिपि-श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT),(PMU)पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलाकान्त गुप्ता)

सरकार के उप सचिव।